IAS GS World PCS

Committed To Excellence

DAILY CURRENT AFFAIRS ANALYSIS

(Pre+Mains) with MCQ

NATIONAL & INTERNATIONAL

POLITY & GOVERNANCE

ECONOMY

DEVELOPMENT & SCIENCE

ENVIRONMENT & ECOLOGY

DEFENCE & SECURITY

18 जून 2026

GS World

FOR PDF DOWNLOAD

GS WORLD LEARNING APP

1. RBI का ऐतिहासिक ₹2.87 लाख करोड़ का Surplus Transfer: केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता और राजकोषीय संघवाद पर नया विवाद

Reserve Bank of India (RBI) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए Union Government को **₹2.87 लाख करोड़** का एक स्मारकीय, record-breaking surplus transfer मंजूर किया है। यह Economic Capital Framework (2019) के अनुरूप है लेकिन इस अभूतपूर्व payout ने central bank independence, fiscalisation और fiscal federalism पर इसके प्रभावों को लेकर गहरी बहस छेड़ दी है।

Surplus Transfer Framework क्या है?

केंद्रीय बैंकों का लक्ष्य profit maximize करना नहीं होता — लेकिन forex reserves managing, open market operations और currency stabilization जैसी गतिविधियां income generate करती हैं। RBI के **Economic Capital Framework (2019)** के तहत निर्धारित risk buffers से अधिक surplus earnings सरकार को **non-tax revenue** के रूप में transfer की जाती हैं — जो taxes बढ़ाए बिना या उधार लिए बिना fiscal space बनाती हैं।

RBI के वित्तीय प्रदर्शन के प्रमुख आंकड़े

- **Balance Sheet का विस्फोटक विस्तार:** RBI की कुल balance sheet एक वर्ष में **20.6%** बढ़कर मार्च 2026 तक **₹91.97 लाख करोड़** के valuation तक पहुंच गई।
- **Gross Income में तेजी:** Aggressive global reserve management के परिणामस्वरूप central bank की gross income इसी वार्षिक चक्र में **26% से अधिक** बढ़ी।
- **Tipping Point Shift:** परंपरागत surplus payouts ₹30,000 करोड़ से ₹65,000 करोड़ के bracket में रहते थे। FY26 का **₹2.87 लाख करोड़** का payout state revenue में एक अभूतपूर्व उछाल है।
- **Strategic Currency Interventions:** घरेलू मुद्रा को गंभीर external exchange-rate shocks से बचाने के लिए RBI ने tactical reserve rebalancing की — लगभग **$12 billion** strategic gold बेचा और लगभग **$7.5 billion** liquid foreign-currency assets खरीदे।

Central Bank Fiscalisation का गहन विश्लेषण क्यों आवश्यक?

- **Institutional Distance बनाए रखना:** Central bank की credibility executive government के अल्पकालिक खर्च दबावों से safe distance बनाए रखने पर निर्भर है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि monetary interventions market stability goals से प्रेरित हो, राज्य की revenue अधिकतम करने की इच्छा से नहीं।
- **Structural Drivers की पहचान:** Western अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत जिनकी balance sheets quantitative easing और large-scale domestic bond purchases से उलझी हैं — भारत के central bank की earnings मुख्यतः foreign asset earnings, foreign exchange transactions और security holdings पर interest से आती हैं।
- **Fiscal Federalism में Blind Spots:** चूंकि पूरा ₹2.87 लाख करोड़ का transfer कानूनी रूप से **non-tax revenue** वर्गीकृत है, यह पूर्णतः Union Government के accounts में जाता है। यह Finance Commission formulas द्वारा governed divisible tax pool के पूरी तरह बाहर है — States को zero automatic financial devolution मिलता है।

- **Macroeconomic Power Equations:** जबकि Central Government को विशाल fiscal space मिलती है, States Article 293 के तहत strict borrowing ceilings से बंधे रहते हैं — जो heavy local welfare और development खर्च के बावजूद regional resource imbalances को बढ़ाता है।

प्रमुख संस्थागत चुनौतियां और आलोचनाएं

- **Asymmetric Fiscal Centralisation की ओर:** आलोचकों का तर्क है कि यह massive, non-shareable dividend transfer — Central Government की non-divisible cesses और surcharges पर बढ़ती निर्भरता के साथ — financial landscape को भारी रूप से Centre की ओर झुकाता है।
- **Central Bank Independence को जोखिम:** State spending pressures बढ़ने के साथ giant dividend payouts पर नियमित निर्भरता institutional distance बनाए रखना कठिन बना सकती है — जिससे central bank asset allocation और exchange-rate policies को लेकर subtle executive pressures के संपर्क में आ सकता है।
- **Active Strategic Portfolio Rebalancing की जटिलताएं:** Gold जैसी solid, long-term strategic reserve assets को liquid foreign-currency papers में बदलना national balance sheet के risk profile को बदल देता है — यह monetary stability decisions को foreign security yields के प्रदर्शन से सीधे जोड़ता है।
- **Inter-State Accountability में पूर्ण घाटा:** चूंकि यह multi-billion dollar public sector resource transfer पूरी तरह federal devolution process को skip करता है, यह किसी formal inter-state consultation, regional accountability या federal balance review के बिना होता है।

आगे की राह

- **Capital Framework के तहत Prudent Limits:** RBI को sovereign को dividends भेजने से पहले अपने ₹92 लाख करोड़ की balance sheet की long-term safety की रक्षा के लिए conservative risk buffers बनाए रखना सुनिश्चित करना चाहिए।
- **Non-Tax Revenue Devolution की स्वैच्छिक Review:** एक mechanism की शुरुआत जिसमें Central Government Article 293 के तहत tight borrowing limits का सामना कर रहे States को support करने के लिए massive non-tax revenue windfalls की स्वैच्छिक review करे।
- **Reserve Portfolio Decisions पर Transparent Reporting:** बड़े पैमाने पर gold liquidations और foreign paper purchases पर comprehensive, समयबद्ध disclosures अनिवार्य करना — यह verify करने के लिए कि reserve management financial stability पर ही केंद्रित रहे, state revenue बढ़ाने पर नहीं।
- **Fiscal-Monetary Interdependence पर नियमित Reviews:** Central bank earnings और state budgets के बीच कसते संबंध की निगरानी के लिए independent academic और legislative reviews स्थापित करना — long-term institutional autonomy सुनिश्चित करने के लिए।

निष्कर्ष

RBI का record-breaking ₹2.87 लाख करोड़ का surplus transfer इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है — monetary stability के guardian के पारंपरिक mandate से आगे state fiscal capacity के एक स्रोत के रूप में। यह windfall federal borrowing

pressures को कम करने में मदद करता है, लेकिन state-level fiscal devolution से इसका exclusion भारत के federal framework के भीतर structural imbalances को तीव्र करता है।

स्रोत: The Hindu | RBI | Economic Capital Framework 2019

2. भारत का रक्षा दशक (2014–2026): आत्मनिर्भरता से वैश्विक रक्षा शक्ति बनने तक

नई दिल्ली | PIB रिपोर्ट

भारत ने पिछले एक दशक में रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन दर्ज किया है। प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) द्वारा जारी पृष्ठभूमि रिपोर्ट *"The Defence Decade: Enhanced Capability, Greater Capacity, and Stronger Credibility"* के अनुसार वर्ष 2014 से 2026 के बीच देश ने विदेशी रक्षा उपकरणों के बड़े आयातक से आत्मनिर्भर रक्षा विनिर्माण शक्ति बनने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है।

आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की अवधारणा के तहत रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन, अनुसंधान, नवाचार तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई संरचनात्मक सुधार लागू किए हैं। परिणामस्वरूप भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता, निर्यात क्षमता और सामरिक विश्वसनीयता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

रक्षा बजट में ऐतिहासिक वृद्धि

- वर्ष 2013-14 में भारत का रक्षा बजट ₹2.53 लाख करोड़ था, जो 2026-27 में बढ़कर ₹7.85 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इसी अवधि में पूंजीगत व्यय ₹94,588 करोड़ से बढ़कर ₹2.19 लाख करोड़ हो गया, जबकि रक्षा अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर व्यय ₹13,716 करोड़ से बढ़कर ₹29,100 करोड़ तक पहुंच गया है।

स्वदेशी रक्षा उत्पादन को मिला बल

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में स्वदेशी रक्षा उत्पादन का मूल्य 2014-15 के ₹46,429 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹1.78 लाख करोड़ हो गया है। वर्तमान में कुल रक्षा उत्पादन में रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों (DPSUs) का योगदान 76 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र का योगदान 24 प्रतिशत है।
- रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जारी लाइसेंसों की संख्या 2015 के 258 से बढ़कर 2026 में 834 हो गई है। इसके अतिरिक्त, 2021 में 200 वर्ष पुराने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (OFB) का पुनर्गठन कर सात नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों का गठन किया गया।

रक्षा निर्यात में 5500 प्रतिशत की वृद्धि

- भारत की रक्षा निर्यात क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2013-14 में मात्र ₹686 करोड़ का रक्षा निर्यात करने वाला भारत 2025-26 में ₹38,424 करोड़ के निर्यात स्तर तक पहुंच गया है। वर्तमान में भारत 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण एवं सैन्य प्रणालियां निर्यात कर रहा है तथा 145 भारतीय कंपनियां वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बन चुकी हैं।

आयात निर्भरता में कमी

- जहां पहले भारत अपनी रक्षा आवश्यकताओं का लगभग 65 से 70 प्रतिशत हिस्सा आयात करता था, वहीं अब लगभग 65 प्रतिशत रक्षा उपकरणों का निर्माण देश के भीतर किया जा रहा है। यह परिवर्तन भारत की सामरिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

नवाचार और तकनीकी उपलब्धियां

- रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए Innovations for Defence Excellence (iDEX) कार्यक्रम के तहत 551 अनुबंध किए गए हैं। वहीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (Positive Indigenisation Lists) के माध्यम से 5,012 रक्षा वस्तुओं के आयात पर रोक लगाई गई है।
- तकनीकी उपलब्धियों में 2019 का मिशन शक्ति (ASAT परीक्षण), 2024 का मिशन दिव्यास्त्र (MIRV तकनीक), 2026 में हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन परीक्षण तथा प्रोजेक्ट-75 के तहत सभी छह कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों की डिलीवरी प्रमुख हैं।

रक्षा औद्योगिक गलियारों का विकास

- उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित रक्षा औद्योगिक गलियारों ने निवेश आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारे में ₹42,057 करोड़ तथा तमिलनाडु रक्षा गलियारे में ₹32,699 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

चुनौतियां और आगे की राह

- हालांकि रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, फिर भी तकनीकी हस्तांतरण, उच्च कौशलयुक्त मानव संसाधन की कमी, DRDO तकनीकों का बड़े पैमाने पर व्यावसायीकरण तथा राज्यों में परियोजनाओं के अनुमोदन जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं।
- सरकार ने वर्ष 2029 तक रक्षा निर्यात को ₹50,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP-2026) के माध्यम से रक्षा खरीद में न्यूनतम 60 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री सुनिश्चित करने की योजना है।

निष्कर्ष

पिछले एक दशक में भारत ने रक्षा क्षेत्र में केवल उत्पादन क्षमता ही नहीं बढ़ाई है, बल्कि आत्मनिर्भरता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा में भी मजबूत कदम बढ़ाए हैं। रक्षा क्षेत्र में यह परिवर्तन भारत को एक उभरती हुई वैश्विक रक्षा शक्ति तथा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदाता के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

3. शिक्षा पर GDP का 6% खर्च करने की सिफारिश, संसदीय समिति ने सरकार को दिया सुझाव

शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने सरकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के लक्ष्य के अनुरूप शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 6 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की है। यह सुझाव समिति की 2025-26 के उच्च शिक्षा अनुदानों से संबंधित 381वीं कार्यवाही प्रतिवेदन (Action Taken Report) में दिया गया है।

- समिति ने उच्च शिक्षा विभाग के लिए किए गए बजटीय आवंटनों की समीक्षा करते हुए पाया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्तमान निवेश स्तर पर्याप्त नहीं है।
- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021-22 में शिक्षा पर कुल सार्वजनिक व्यय GDP का केवल 4.12 प्रतिशत था, जो NEP 2020 के निर्धारित 6 प्रतिशत लक्ष्य से काफी कम है।

उच्च शिक्षा बजट में अपेक्षित वृद्धि का अभाव

- समिति ने यह भी उल्लेख किया कि वर्ष 2025-26 में उच्च शिक्षा के लिए बजट अनुमान (BE) में की गई वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में अपेक्षाकृत कम रही है। समिति का मत है कि शिक्षा क्षेत्र में बढ़ती लागत और मुद्रास्फीति के प्रभाव को देखते हुए बजट में प्रतिवर्ष कम-से-कम 8 से 10 प्रतिशत की वृद्धि सुनिश्चित की जानी चाहिए।

GER में सीमित प्रगति

- रिपोर्ट में उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio-GER) को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। समिति के अनुसार, 2018 से 2023 के बीच पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों में GER की वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में GER को 50 प्रतिशत तक पहुंचाना है, जिसके लिए पर्याप्त वित्तीय निवेश आवश्यक है।

अंतरराष्ट्रीय तुलना में भारत पीछे

- समिति ने पड़ोसी देशों के उदाहरण देते हुए कहा कि शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। रिपोर्ट के अनुसार, भूटान अपनी GDP का लगभग 7.47 प्रतिशत तथा मालदीव 4.67 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करता है, जबकि भारत का व्यय अभी भी अपेक्षाकृत कम है।

शिक्षा निवेश का व्यापक महत्व

- विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा पर अधिक निवेश से सीखने के परिणामों में सुधार, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा, डिजिटल शिक्षा का विस्तार तथा मानव संसाधन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त, बेहतर शिक्षा प्रणाली रोजगार क्षमता, कौशल विकास और आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत बनाती है।
- समिति ने जोर देकर कहा कि यदि भारत को ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ना है, तो शिक्षा क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता देना अनिवार्य होगा।

निष्कर्ष

- संसदीय समिति की यह सिफारिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। शिक्षा पर GDP का 6 प्रतिशत व्यय न केवल उच्च शिक्षा के विस्तार में सहायक होगा, बल्कि देश की दीर्घकालिक आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति को भी गति प्रदान करेगा।

4. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) में नई नियुक्तियां, सांख्यिकीय प्रणाली को मिलेगा मजबूती का आधार

केंद्र सरकार की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet-ACC) ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (National Statistical Commission-NSC) के अध्यक्ष के रूप में डॉ. सैबल चट्टोपाध्याय की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सांख्यिकी, डेटा विश्लेषण और संबंधित क्षेत्रों के तीन विशेषज्ञों को आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है।

यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब विश्वसनीय, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों की आवश्यकता नीति निर्माण और विकास योजनाओं के लिए पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

क्या है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC)?

- राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग भारत की आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली का सर्वोच्च सलाहकार निकाय है। इसका उद्देश्य देश में आंकड़ों के संग्रहण, संकलन, विश्लेषण तथा प्रसार की प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय, वैज्ञानिक और पारदर्शी बनाना है।
- आयोग एक स्वायत्त एवं सशक्त संस्था के रूप में कार्य करता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य आधिकारिक आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा सांख्यिकीय प्रणाली को बाहरी प्रभावों से मुक्त रखना है।

गठन की पृष्ठभूमि

- भारत की सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा के लिए जनवरी 2000 में डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 1 जून 2005 को एक कार्यकारी संकल्प (Executive Resolution) के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की।
- आयोग ने 12 जुलाई 2006 से अपना कार्य प्रारंभ किया।

आयोग की संरचना

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग में—

- एक अंशकालिक अध्यक्ष (Chairperson)
- चार अंशकालिक सदस्य (Part-Time Members)

शामिल होते हैं, जिन्हें सांख्यिकी, संचालन अनुसंधान (Operations Research), अर्थशास्त्र एवं कंप्यूटर विज्ञान जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

इसके अतिरिक्त—

- नीति आयोग (NITI Aayog) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आयोग के पदेन सदस्य (Ex-Officio Member) होते हैं।
- भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् (Chief Statistician of India) आयोग के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

प्रमुख कार्य

- **राष्ट्रीय सांख्यिकीय नीतियों का निर्माण-** आयोग विभिन्न क्षेत्रों में डेटा संग्रहण, वर्गीकरण, अवधारणाओं और परिभाषाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की नीतियां एवं मानक निर्धारित करता है।
- **गुणवत्ता मानकों की निगरानी-** यह मुद्रास्फीति (Inflation), औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP), राष्ट्रीय आय (National Income) तथा अन्य सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के लिए गुणवत्ता मानक तय करता है।
- **समन्वय स्थापित करना -** आयोग केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के बीच सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वय सुनिश्चित करता है।
- **सांख्यिकीय ऑडिट-** आंकड़ों के संकलन एवं प्रसंस्करण की पद्धतियों की समीक्षा कर उनकी विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है।
- **सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा -** देश की सांख्यिकीय व्यवस्था का निरंतर मूल्यांकन करते हुए सुधार संबंधी सुझाव प्रदान करता है।

महत्व

- किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सटीक और विश्वसनीय आंकड़े प्रभावी नीति निर्माण की आधारशिला होते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों में सरकारी नीतियां आधिकारिक आंकड़ों पर ही आधारित होती हैं।
- ऐसे में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की भूमिका न केवल आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है, बल्कि शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को मजबूत करने में भी अत्यंत आवश्यक है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग में नई नियुक्तियां भारत की सांख्यिकीय प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों के माध्यम से आयोग देश में बेहतर नीति निर्माण तथा सुशासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

5. गरीबी उन्मूलन से ही बचेगा भारत का वन एवं जैव विविधता तंत्र: अध्ययन

अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका *Nature Sustainability* में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण अध्ययन ने वन संरक्षण के पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि जैव विविधता संरक्षण और गरीबी उन्मूलन एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अध्ययन के अनुसार, यदि स्थानीय समुदायों को बेहतर आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जाएं तो वनों पर निर्भरता कम होगी और वनों की जैव विविधता को अधिक प्रभावी ढंग से संरक्षित किया जा सकेगा।

24 वर्षों के आंकड़ों पर आधारित अध्ययन

- यह अध्ययन *International Forestry Resources and Institutions (IFRI)* नेटवर्क के आंकड़ों पर आधारित है। शोधकर्ताओं ने 1993 से 2017 के बीच 15 देशों के 322 सामुदायिक प्रबंधित उष्णकटिबंधीय वनों का विश्लेषण किया।
- अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह समझना था कि मानव आजीविका की स्थिति और वनों की जैव विविधता के बीच किस प्रकार का संबंध मौजूद है। शोध में वृक्ष प्रजातियों की विविधता (Tree Species Diversity) को पारिस्थितिक स्थिरता और वन स्वास्थ्य का प्रमुख संकेतक माना गया।

गरीबी नहीं, विकल्पों की कमी है समस्या

- अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि गरीबी स्वयं जैव विविधता ह्रास का कारण नहीं है। वास्तविक समस्या तब उत्पन्न होती है जब गरीब समुदायों के पास आय के वैकल्पिक साधन नहीं होते और वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए वनों पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं।
- ऐसे क्षेत्रों में ईंधन लकड़ी, चारा तथा अन्य वन संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण वृक्ष प्रजातियों की विविधता घट जाती है, जिससे वन पारिस्थितिकी तंत्र कमजोर और जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है।
- इसके विपरीत, जिन क्षेत्रों में लोगों को कृषि, पशुपालन, पर्यटन या अन्य गैर-वन आधारित रोजगार उपलब्ध हैं, वहां वन अधिक स्वस्थ और जैव विविधता से समृद्ध पाए गए।

पारंपरिक 'फोर्ट्रेस कंजर्वेशन' मॉडल पर प्रश्न

- अध्ययन ने भारत में लंबे समय से अपनाए जा रहे 'Fortress Conservation Model' पर भी सवाल उठाए हैं। इस मॉडल में वन्यजीव अभयारण्यों और संरक्षित क्षेत्रों में मानव गतिविधियों को सीमित कर संरक्षण का प्रयास किया जाता है।

- हालांकि इस नीति ने कुछ प्रमुख वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण में सफलता दिलाई है, लेकिन कई संरक्षित क्षेत्र अब मानव बस्तियों से घिरे पृथक पारिस्थितिक द्वीप (Ecological Islands) बनते जा रहे हैं। इससे वन्यजीव गलियारों (Wildlife Corridors) और वन संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में लगभग 27.5 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वन संसाधनों पर निर्भर हैं। ऐसे में केवल प्रतिबंध आधारित संरक्षण रणनीति दीर्घकालिक समाधान नहीं हो सकती।

सामुदायिक संरक्षण की सफल पहलें

देश के विभिन्न भागों में समुदाय आधारित संरक्षण मॉडल सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं।

- **अरुणाचल प्रदेश का हॉर्नबिल संरक्षण कार्यक्रम-** नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में पूर्व शिकारी समुदायों को हॉर्नबिल पक्षियों के घोंसलों की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है। इससे शिकार में कमी आई है और वन संरक्षण को बढ़ावा मिला है।
- **महाराष्ट्र के मैंग्रोव संरक्षण समूह-** सिंधुदुर्ग जिले में स्थानीय समुदाय मैंग्रोव संरक्षण के साथ-साथ मत्स्य पालन, जलीय कृषि और पारिस्थितिक पर्यटन से आय अर्जित कर रहे हैं।
- **लद्दाख में हिम तेंदुआ संरक्षण-** सामुदायिक होम-स्टे और पशुधन बीमा योजनाओं के माध्यम से मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने में सफलता मिली है।
- **स्वच्छ ऊर्जा वितरण-** कई राज्यों में वन क्षेत्रों के आसपास एलपीजी कनेक्शन, ऊर्जा-कुशल चूल्हे और सौर उपकरण वितरित किए जा रहे हैं, जिससे ईंधन लकड़ी पर निर्भरता कम हुई है।

प्रमुख चुनौतियां

विशेषज्ञों का मानना है कि सामुदायिक वन प्रबंधन को व्यापक स्तर पर लागू करने में कई चुनौतियां मौजूद हैं।

- वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रमों के लिए अनियमित वित्तीय सहायता
- स्थानीय समुदायों की भिन्न सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां
- वन पर्यटन से प्राप्त आय का असमान वितरण
- पारंपरिक एवं आदिवासी ज्ञान की उपेक्षा
- संस्थागत समन्वय की कमी

आगे की राह

- विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि वन संरक्षण को ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए।
- वन्यजीव गलियारों में स्वच्छ ऊर्जा योजनाओं का विस्तार, इको-टूरिज्म आय का स्थानीय समुदायों के साथ साझा करना, सामुदायिक अधिकारों को मजबूत करना तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार आधारित संरक्षण मॉडल विकसित करना आवश्यक होगा।

निष्कर्ष

GS World Committed To Excellence

Nature Sustainability का यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि गरीबी उन्मूलन और जैव विविधता संरक्षण परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं। भारत जैसे देश में, जहां करोड़ों लोग वन संसाधनों पर निर्भर हैं, वहां समावेशी एवं समुदाय-आधारित संरक्षण मॉडल ही दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता और सतत विकास का आधार बन सकते हैं।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रश्न 1. RBI के Economic Capital Framework (ECF) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे बिमल जालान समिति की सिफारिशों के आधार पर अपनाया गया था।
2. यह निर्धारित करता है कि RBI को कितना जोखिम बफर बनाए रखना चाहिए।
3. यह सरकार को अधिशेष राशि हस्तांतरित करने की व्यवस्था प्रदान करता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या:

ECF को वर्ष 2019 में बिमल जालान समिति की सिफारिशों के आधार पर अपनाया गया। यह RBI की पूंजी, जोखिम बफर तथा सरकार को अधिशेष हस्तांतरण की प्रक्रिया निर्धारित करता है।

प्रश्न 2. RBI द्वारा केंद्र सरकार को हस्तांतरित अधिशेष राशि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे केंद्रीय बजट में गैर-कर राजस्व (Non-Tax Revenue) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
2. यह वित्त आयोग द्वारा राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले विभाज्य कर पूल (Divisible Pool) का हिस्सा है।
3. यह केंद्र सरकार को अतिरिक्त राजकोषीय संसाधन उपलब्ध कराता है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 2

(c) केवल 1 और 2

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

व्याख्या:

RBI का अधिशेष हस्तांतरण गैर-कर राजस्व होता है। यह Divisible Pool का हिस्सा नहीं होता, इसलिए राज्यों में वितरित नहीं किया जाता। इससे केंद्र सरकार को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन प्राप्त होते हैं।

प्रश्न 3. निम्नलिखित में से RBI की आय के प्रमुख स्रोत कौन-कौन से हैं?

1. विदेशी मुद्रा भंडार पर आय
2. सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज
3. विदेशी विनिमय लेन-देन
4. कॉर्पोरेट आयकर संग्रह

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1, 2 और 3

(c) केवल 2, 3 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

व्याख्या:

RBI विदेशी मुद्रा भंडार, सरकारी प्रतिभूतियों तथा विदेशी विनिमय परिचालनों से आय अर्जित करता है। आयकर संग्रह RBI का कार्य नहीं है।

प्रश्न 4. "केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता (Central Bank Independence)" का तात्पर्य मुख्यतः क्या है?

(a) संसद से पूर्ण स्वतंत्रता

(b) राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होकर मौद्रिक नीति संचालित करने की क्षमता

(c) वित्तीय जवाबदेही से मुक्त होना

(d) स्वतंत्र रूप से कर लगाने की शक्ति

उत्तर: (b)

व्याख्या:

केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता का अर्थ है कि वह आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर मौद्रिक नीति संबंधी निर्णय ले सके, न कि राजनीतिक दबावों के आधार पर।

प्रश्न 5. भारत में राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. करों के बंटवारे की सिफारिश वित्त आयोग करता है।
2. केंद्र सरकार को प्राप्त सभी गैर-कर राजस्व राज्यों के साथ साझा किए जाते हैं।
3. RBI का अधिशेष हस्तांतरण विभाज्य कर पूल से बाहर होता है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

वित्त आयोग केवल कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करता है। RBI का अधिशेष गैर-कर राजस्व है और राज्यों के साथ अनिवार्य रूप से साझा नहीं किया जाता।

प्रश्न 6. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 293 किससे संबंधित है?

(a) करों का वितरण

(b) राज्यों की उधार लेने की शक्ति

(c) वित्तीय आपातकाल

(d) वित्त आयोग

उत्तर: (b)

व्याख्या:

अनुच्छेद 293 राज्यों की उधार लेने की शक्तियों तथा उनसे संबंधित प्रतिबंधों का प्रावधान करता है।

प्रश्न 7. "Fiscal Dominance" की अवधारणा का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है?

(a) जब राजकोषीय नीति मौद्रिक नीति को प्रभावित करने लगे

(b) जब RBI सरकार का बजट तैयार करे

(c) जब राज्य सरकारें केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करें

(d) जब करों का वितरण बंद हो जाए

GS World IAS PCS Committed To Excellence

उत्तर: (a)

व्याख्या:

Fiscal Dominance वह स्थिति है जब सरकार की वित्तीय आवश्यकताएं केंद्रीय बैंक के निर्णयों को प्रभावित करने लगती हैं।

प्रश्न 8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वित्त आयोग कर राजस्व तथा गैर-कर राजस्व दोनों के वितरण की सिफारिश करता है।
2. RBI का अधिशेष हस्तांतरण भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) में जमा होता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या:

वित्त आयोग मुख्यतः विभाज्य कर पूल के बंटवारे की सिफारिश करता है। RBI का अधिशेष गैर-कर राजस्व के रूप में भारत की संचित निधि में जमा होता है।

प्रश्न 9. निम्नलिखित में से कौन RBI की पूंजी एवं अधिशेष प्रबंधन प्रणाली से संबंधित हैं?

1. Economic Capital Framework
2. बिमल जालान समिति
3. Contingency Risk Buffer
4. RBI Surplus Transfer

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1, 2 और 3

(c) केवल 1, 3 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

व्याख्या:

उपरोक्त सभी RBI की पूंजी संरचना, जोखिम प्रबंधन तथा अधिशेष हस्तांतरण व्यवस्था से संबंधित हैं।

प्रश्न 10. निम्नलिखित में से कौन-सी परिस्थितियां केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता को प्रभावित कर सकती हैं?

1. सरकार की RBI लाभांश पर अत्यधिक निर्भरता
2. आरक्षित परिसंपत्तियों के प्रबंधन में राजनीतिक हस्तक्षेप
3. अल्पकालिक राजकोषीय उद्देश्यों के अनुरूप मौद्रिक नीति पर दबाव

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या:

ये तीनों स्थितियां केंद्रीय बैंक की संस्थागत स्वतंत्रता और विश्वसनीयता को कमजोर कर सकती हैं।

मुख्य परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रश्न 1 (GS-3 | भारतीय अर्थव्यवस्था)

"RBI द्वारा केंद्र सरकार को किया गया रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्पकालिक राजकोषीय राहत प्रदान करता है, किंतु इससे केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता से जुड़े प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं।" चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 2 (GS-3 | केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध)

RBI का अधिशेष हस्तांतरण गैर-कर राजस्व के रूप में वर्गीकृत होने के कारण वित्त आयोग के विभाज्य कर पूल से बाहर रहता है। इस संदर्भ में भारत के राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) पर इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 3 (GS-3 | आर्थिक विकास)

Economic Capital Framework (2019) क्या है? RBI के अधिशेष हस्तांतरण की प्रक्रिया में इसकी भूमिका तथा महत्व का परीक्षण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

प्रश्न 4 (GS-3 | मौद्रिक नीति एवं वित्तीय संस्थान)

"केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिरता की आधारशिला है।" RBI के हालिया अधिशेष हस्तांतरण के संदर्भ में इस कथन की समीक्षा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 5 (GS-2/GS-3 | शासन एवं अर्थव्यवस्था)

भारत में बढ़ती राजकोषीय आवश्यकताओं के बीच RBI की भूमिका केवल मौद्रिक स्थिरता तक सीमित नहीं रह गई है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)